Rule 9 : Verification of the application and approval

(1) The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of [1]**[**seven**]** working days from the date of submission of the application.

[2]**[Provided** that where-

(a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or

[3]**[(aa)** a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or**]**

(b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by

---

1 Substituted for "three" by Noti. No. 94/2020-Central Tax dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

2 Proviso substituted by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020. Earlier to substitution it read as under:

"[A]**[Provided** that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25:

Provided further that the proper officer may, for reasons to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of Joint Commissioner, in lieu of the physical verification of the place of business, carry out the verification of such documents as he may deem fit.**]**"

A Earlier Proviso substituted by Noti. No. 62/2020–Central Tax dt. 20-08-2020 w.e.f. 21-08-2020. Earlier to substitution it read as under:

"[B]**[Provided** that where a person, other than those notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principle place of business in the presence of the said person, not later than sixty days from the date of application, in the manner provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not be applicable in such cases.**]**"

B Earlier proviso inserted by Noti. No. 16/2020–Central Tax dt. 23-03-2020 w.e.f. 01-04-2020.

3 Clause (aa) inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business,

the registration shall be granted within thirty days of submission of application, after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25 and verification of such documents as the proper officer may deem fit.**]**

(2) Where the application submitted under rule 8 is found to be deficient, either in terms of any information or any document required to be furnished under the said rule, or where the proper officer requires any clarification with regard to any information provided in the application or documents furnished therewith, he may issue a notice to the applicant electronically in **FORM GST REG-03** within a period of [4]**[**seven**]** working days from the date of submission of the application and the applicant shall furnish such clarification, information or documents electronically, in **FORM GST REG-04**, within a period of seven working days from the date of receipt of such notice.

[5]**[Provided** that where-

(a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or

[6]**[(aa)** a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or**]**

(b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of Assistant Commissioner, deems it fit to carry out physical verification of places of business,

---

4 Substituted for "three" by Noti. No. 94/2020-Central Tax dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

5 Proviso substituted by Noti. No. 94/2020-Central Tax dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020, earlier this proviso inserted by Noti. No. 62/2020–Central Tax, dt. 20-08-2020 w.e.f. 21-08-2020. Earlier to substitution it read as under:
"**Provided** that where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number, the notice in **FORM GST REG-03** may be issued not later than twenty one days from the date of submission of the application."

6 Clause (aa) inserted vide Noti. No. 26/2022–Central Tax dated 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

the notice in **FORM GST REG-03** may be issued not later than thirty days from the date of submission of the application.**]**

Explanation– For the purposes of this sub-rule, the expression "clarification" includes modification or correction of particulars declared in the application for registration, other than Permanent Account Number, State, mobile number and e-mail address declared in **Part A** of **FORM GST REG-01.**

(3) Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or documents furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of seven working days from the date of receipt of such clarification or information or documents.

(4) Where no reply is furnished by the applicant in response to the notice issued under sub-rule (2) or where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, he [7]**[**may**]**, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in **FORM GST REG-05**.

[8]**[(5)** If the proper officer fails to take any action,

---

7 Substituted for "shall" by Noti. No. 62/2020–Central Tax, dt. 20-08-2020 w.e.f. 21-08-2020.

8 Sub-rule (5) substituted by Noti. No. 94/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020. Earlier to substitution it read as under:

"[A]**(5)** If the proper officer fails to take any action, -

(a) within a period of three working days from the date of submission of the application in cases where a person successfully undergoes authentication of Aadhaar number or is notified under sub-section (6D) of section 25; or

(b) within the time period prescribed under the proviso to sub-rule (2), in cases where a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8; or

(c) within a period of twenty-one days from the date of submission of the application in cases where a person does not opt for authentication of Aadhaar number; or

(d) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of application shall be deemed to have been approved.

A. Earlier sub-rule (5) substituted by Noti. No. 62/2020–Central Tax, dt. 20-08-2020 w.e.f. 21-08-2020. Earlier to substitution it read as under:

"(5) If the proper officer fails to take any action, -

(a) within a period of three working days from the date of submission of the application; or

(a) within a period of seven working days from the date of submission of the application in cases where the person is not covered under proviso to sub-rule (1); or

(b) within a period of thirty days from the date of submission of the application in cases where a person is covered under proviso to sub-rule (1); or

(c) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.**]**

(b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved."

नियम 9 : आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन

(1) आवेदन समुचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाये जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से [1]**[सात]** कार्य दिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा।

[2]**[परन्तु** जहां–

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

[3]**[(कक)** ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उपनियम 4(क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुजरा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या]

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न पद का न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

नियम 25 के अधीन दी गई रीति से, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराये जाने के पश्चात् तथा जैसा उचित अधिकारी उचित समझे ऐसे कागजातों का सत्यापन किए जाने के पश्चात्, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''तीन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

2 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"[A]**[परंतु** जहां कि कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं करता है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण, उस व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार उसके कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के बाद, किया जायेगाः

परंतु यह और कि उचित अधिकारी, संबंधित कारणों को लिखित रूप से लेखबद्ध करते हुए और ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जिसका पद की संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे नहीं है, कारबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन किये जाने के स्थान पर, ऐसे दस्तावेजों को सत्यापन कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।**]**"

A अधिसूचना क्रमांक 62/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"[B]**[परंतु** जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा–निर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में केवल कारबार क मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।**]**"

B अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)।

3 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा खंड (कक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

(2) जहां नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां समुचित अधिकारी उसके साथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की बाबत् किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से [4]**[**सात**]** कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–03** में, इलैक्ट्रानिक रूप से, नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–04** में, इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा।

[5]**[परंतु** जहां–

(क) कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 का उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या के सत्यापन से चूक जाता है या आधार संख्या के सत्यापन का विकल्प का चयन नहीं करता है; या

[6]**[(कक)** ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उपनियम 4(क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुजरा है, उसके कारबार के स्थानों का वास्तविक सत्यापन करने के लिए, आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या**]**

(ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से जो कि सहायक आयुक्त से निम्न का पद न हो, कारोबार के स्थान का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जाना उचित समझता है तो,

ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–03** में नोटिस जारी किया जा सकेगा।**]**

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''स्पष्टीकरण'' पद के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटी आरईजी–01** के **भाग क** में घोषित स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य मोबाइल नम्बर और ई–मेल पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी है।

(3) जहां समुचित अधिकारी का आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख

---

4 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा ''तीन'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

5 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)। अधिसूचना क्रमांक 62/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"**परंतु** यह और कि जहां कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न हो, नियम 8 के उपनियम 4(क) में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चुक जाता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प को चयन नहीं करता है तो, **प्ररूप जीएसटी आरईजी–03** में नोटिस, ऐसे आवेदन को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर जारी किया जा सकेगा।"

6 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा खंड (कक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहां समुचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को नामंजूर कर [7]**[**सकेगा**]** और आवेदक को **प्ररूप जीएसटी आरईजी–05** में इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित [8]**[**कर सकेगा**]**।

[9]**[(5)** यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने से चूक जाता है,

(क) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर उस मामले में जहां कि ऐसे व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है तो; या

---

7 अधिसूचना क्रमांक 62/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा ''देगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)।

8 अधिसूचना क्रमांक 62/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा ''करेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)।

9 अधिसूचना क्रमांक 94/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा उपनियम (5) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"[A]**(5)** यदि उचित अधिकारी कोई भी कार्यवाही करने में चूक जाता है–

(क) ऐसे मामले में जिसमें कि किसी व्यक्ति की आधार संख्या का अभिप्रमाणन सफलता पूर्वक हो जाता है या वह धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अधिसूचित है आवेदन के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन कार्य–दिवस के भीतर; या

(ख) ऐसे मामले में जिसमें कि कोई व्यक्ति, जो कि धारा 25 की उपधारा 6(घ) के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न है, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में चूक जाता है, तो उपनियम (2) के परंतुक के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर; या

(ग) ऐसे मामले में जिसमें कि ऐसे व्यक्ति ने आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं किया है, आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर; या

(घ) उपनियम (2) के अंतर्गत, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर,

तो रजिस्ट्रीकरण के लिए किये गये आवेदन के बारे में वह माना जायेगा कि उसे अनुमोदित कर दिया गया है।

A. अधिसूचना क्रमांक 62/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा उपनियम (5) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(5)** यदि समुचित अधिकारी,–

(क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर; या

(ख) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।"

(ख) आवेदन को प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर जहां ऐसा व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अंतर्गत आता हो तो; या

(ग) उपनियम (2) के अंतर्गत आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के अवधि के भीतर तो,

रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।**]**